# स्पेशल कोर्ट ने 3 बिजली चोरों को दिखाया तिहाड़ का रास्ता

ई दिल्ली, **25** अप्रैल, **2007**। तीन अलग- अलग मामलों में बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने तीन लोगों को बेजली चोरी के आरोप में तिहाड़ जेल भेज दिया। बिजली चोरों में एक एसपीडी ठेकेदार, और एक पीवीसी पॉलिथिन बनाने वाला व्यवसायी भी शामिल हैं। बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीमों द्वारा बिजली चोरी में पकड़े गए इन तीनों लोगों पर कुल **34** लाख का जुर्माना किया गया है।

- ठेकेदार को जेल, चार दिन बाद मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- जल्द भरो जुर्माना

साकेत के पास मंडी पहाड़ी गांव, शांति कैंप में *मजदूर विकास समिति* के नाम से बिजली का अवैध ढंग से वितरण कर रहे होरी लाल प्रधान को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने **14** दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इसके तुरंत बाद आरोपी ने जमानत की अर्जी दाखिल की और चार दिन जेल में गुजारने के बाद उसे जमानत मिल गई। जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ठेकेदार को निर्देश दिया कि वह जुर्माने के **6** लाख रूपये बीएसईएस को चुकाए (दो लाख रूपये तुरंत और बाकी के चार लाख रूपये **31** मई तक)। इस साल **19** जनवरी को बीआरपीएल की एन्फोर्समेंट टीम ने ठेकेदार को बिजली चोरी करने के आरोप में पकड़ा था।

पहले इस ठेकेदार को बीएसईएस ने इलाके के **85** उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह **135** किलोवॉट बिजली की चोरी कर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के बीच उसका वितरण कर रहा था। उस पर **21** लाख रूपये का जुर्माना किया गया। खास बात यह है कि ठेकेदार उपभोक्ताओं से तो बिजली बिल वसूला करता था, लेकिन वह वसूले हुए बिल बीएसईएस को नहीं देता था।

- पीवीसी पॉलिथिन बनाने वाला भी सलाखों के पीछे

पीवीसी पॉलिथिन बनाने का काम करने वाले बिहारी लाल अग्रवाल को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप में **14** दिनों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। इस साल **17** जनवरी को बीवाईपीएल की एन्फोर्समेंट टीम ने **4/587** मोहल्ला डलहाई, भोला नाथ नगर के निकट, शाहदरा में अग्रवाल को **29** किलोवॉट बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। वह बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। उस पर **11.36** लाख रूपये का जुर्माना किया गया था। लेकिन तय समय सीमा के भीतर जब आरोपी ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की, तो बीएसईएस ने फर्श बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई और स्पेशल कोर्ट में केस भी फाइल किया।

- करदमपुरी निवासी भी खा रहा है जेल की हवा

हाउस नंगर- **434**, गली नंबर **1**, करदमपुरी निवासी जेशान को घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए **4** किलोवॉट बिजली की चोरी करने के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने **14** दिनों के लिए जेल भेज दिया। **4** अप्रैल को बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने उसे बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। उस पर **1.8** लाख रूपये का जुर्माना किया गया था।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

---

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
**39999870/ 9312007822**

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
**39999840/ 9350130304**